Incidence and Shifting of Tax on Land, Import, export, Property ~~asset~~ commodity and Income

Incidence and Shifting of Tax on Land

भूमि पर अनेक प्रकार से कर लगाये जा सकते हैं जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर कर, भूमि की स्थिति के आधार पर कर आदि। अगर सरकार आर्थिक लगान पर कर लगाती है तो इस कर का भार भूस्वामियों पर पड़ता है। आर्थिक लगान एक प्रकार का अधिशेष होता है जो भूस्वामियों को प्राप्त होता है।

यदि भूमि पर कर फसल विशेष के अनुसार लगाया गया है तो इस कर को भार अल्पकाल में तो भूस्वामी ही इस वहन करेगा परन्तु दीर्घकाल में इस कर भार को उपभोक्ताओं की ओर विवर्तित कर देगा। माना कि गन्ने पर उत्पादन कर लगाया जाता है जो कि 5 रुपये प्रति क्विंटल है कर लगने से उपज की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। यदि उपज के कर भार को भूस्वामी विवर्तित नहीं कर सकता तो वह स्वयं ही कर भार को भुगतान करके अपने लाभ में कमी कर

लगा। तब ऐसी दशा में उत्पादक के लिए यह फसल लाभप्रद नही रह जाती है। अब वह गन्ने की जगह दूसरी फसल मानाकि अरहर (जिस पर कर न लगा हो) का उत्पादन करने लगेगा। ऐसा करने से गन्ने की पूर्ति में कमी आ जायेगी जबकि गन्ने की मांग पूर्ववत बनी रहती है। ऐसी दशा में दीर्घकाल में गन्नो का मूल्य बढ़ जायेगा। मूल्य वृद्धि के कारण अब वे उत्पादक फिर से गन्ने की खेती करने लगेंगे और गन्ने के कर भार को उपभोक्ताओं की ओर विवर्तित कर देंगे।

यदि भूमि पर कर उपज की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है तो करभार का विवर्तन वस्तु की मांग लोच के अनुसार होगा। यदि वस्तु की मांग बेलोच है तो कर भार का विवर्तन आसानी से हो जायेगा और यदि वस्तु की मांग लोचदार हुई तो कर भार का विवर्तन नही होगा। इस भार को भूस्वामी स्वयं ही वहन करेगा।

यदि भूमि में विनियोजित पुंजी पर कर लगाया जाता है तो कर का भार किसानो पर पड़ेगा।

Incidence and shifting of Tax on Import

जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के

व्यापारी से वस्तुएँ आयात करता है तब आयातकर्त्ता देश के द्वारा वस्तु पर कर लगाया जाता है। इसप्रकार आयातकर्त्ता के लिए वह वस्तु महंगी हो जाती है। आयातकर्त्ता द्वारा लगाये गए कर का विदेशी वस्तु की मांग की लोच के ऊपर पूर्णतया निर्भर करेगी। यदि आयात की जानेवाली वस्तु आयातक देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है या आयात की जानेवाली वस्तु आयातक देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है या आयात को जाने वाली वस्तु की कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है- तो ऐसी दशा में आयातक देश के- उपभोक्ताओं को ही कर का भार वहन करना पड़ेगा। यदि स्थिति इसके विपरीत है तो करभार का विचलन होना सम्भव नहीं और सम्पूर्ण करभार आयातक को ही वहन करना होगा।

Incidence and Shifting of Tax on Export

यदि किसी राष्ट्र को वस्तु के- उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध नहीं है तथा मांग में विशेष लोच नहीं है तो सरलता से करभार का

विवर्तन किया जा सकता ... देश में प्रर्याप्त

विपरीत यदि आयातकर्ता देश में प्रर्याप्त उत्पादन होता है तथा स्थानापन्न वस्तुएँ भी उपलब्ध हो तो निर्यातक को ही करभार वहन करना पड़ेगा।

Incidence and Shifting of Tax on Income

यहाँ पर आय का अभिप्राय व्यक्ति को किसी सेवा अथवा व्यापार आदि से प्राप्त होने वाली आय से है। व्यक्ति की आय पर एक निश्चित सीमा तक छूट देने के बाद शेष बची आय पर आयकर लगाया जाता है। आय कर को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

(1) व्यक्तिगत आयकर का विवर्तन

वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि पर जो कर लगाया जाता है उस कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति को प्राप्त होने वाली मजदूरी उसकी सीमान्त उत्पादकता के आधार पर ही प्राप्त होती है तथा कर भार को व्यक्ति स्वयं ही सहन करता है।

(2) व्यवसायिक आय कर का विवर्तन

व्यवसायिक आय कर का विवर्तन सम्भव

नहीं होता। यदि इस कर को लागत का एक अंग माना जाय तो उसे विवर्तित किया जा सकता है परन्तु आय कर लागत व्यय का अंग नहीं होती है।

Incidence and Shifting of Tax on Property

Taylor के अनुसार सम्पत्ति दो प्रकार की होती है (i) प्रत्यक्ष उपभोग में काम आने वाली सम्पत्ति (ii) उत्पादन के काम में आने वाली सम्पत्ति।

प्रथम प्रकार की सम्पत्ति के अन्तर्गत मकान, आभूषण आदि रखे जाते हैं। इस सम्पत्ति पर लगे कर के भार का विवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसप्रकार की सम्पत्ति का विनिमय नहीं होता और इसकारण इसके मुल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती, परन्तु कुछ दशाओं में इसप्रकार की सम्पत्ति का क्रय करते समय करभार का प्रतिगामी विवर्तन सम्भव होता है जिसे कर का पूंजीकरण कहा जाता है।

इसके विपरीत दूसरे प्रकार की सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है तो यह लागत व्यय का एक स्थायी अंग बन जाता है। परन्तु अल्पकाल में इसप्रकार की सम्पत्ति की मांग पूर्ति में किसी तरह की कमी न हो सकने के कारण करभार का विवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल दीर्घकाल

में ही ऐसी सम्पत्ति पर लगा कर के भार को विवर्तित किया जा सकता है।

Incidence and Shifting of Tax on Commodity

प्राय: बिक्री कर वस्तु की बिक्री पर और उत्पादन कर वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। इन दोनों प्रकार के करों को मिलाकर वस्तु कर कहते हैं।

वस्तु कर का विवर्तन मांग व पूर्ति की लोच के उपर निर्भर करता है। यदि सरकार किसी वस्तु पर बिक्री कर लगाता है तो बिक्री कर वाली वस्तुओं की मांग बेलोच है तो ऐसी दशा में मूल्य वृद्धि का प्रभाव वस्तु की मांग लोच पर नहीं पड़ेगा। मूल्य के बढ़ने पर भी मांग ज्यों का त्यों बनी रहेगी और विक्रेता करों की राशि का पूरा विवर्तन उपभोक्ताओं की ओर कर देगा। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति बेलोच हो तब करों का विवर्तन उपभोक्ताओं की ओर आंशिक रूप से ही होगा। मांग के लोचदार होने तथा पूर्ति के लोचदार होने पर करों का विवर्तन आसानी से नहीं हो सकता है। बिक्री कर प्राय दो प्रकार के होते हैं —

(1) सामान्य बिक्री कर

सामान्य बिक्री कर सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है। सामान्य बिक्री कर के सम्पूर्ण भार को उपभोक्ताओं की ओर विवर्तित कर देता है।

(2) विशेष बिक्री कर

यह कर सभी प्रकार की वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता है। कुछ खास चुनी हुई वस्तुओं पर ही यह कर लगाया जाता है। इन करों के भार को विवर्तित करना बड़ा कठिन होता है। यदि इन विशेष वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध हों तो करों का विवर्तन हो ही नहीं सकता है और स्वयं उत्पादक इन करों का भार को वहन कर लेता है। यदि इन वस्तुओं की मांग लोचदार हुई तो भी करों का विवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की मांग बेलोच हो तथा बाजार में स्थानापन्न वस्तुएँ भी उपलब्ध न हो तब इसप्रकार के करों का विवर्तन उपभोक्ताओं की ओर किया जा सकता है।

इसप्रकार करभार का लगाने

वाली वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन तथा विनिमय की दशा, स्थानापन्न वस्तुएँ की उपलब्धता, कर की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है।

Dr Sandhya Rai
Deptt of Economics